

12/4/21

पानवली फेज (वकील नरेश) उपरोक्त कार्ड/वादी क्रम 1287/0.34, 1294/0.48

का क्रम (नं): 2488 हाल का क्रम 000 1287/0.34, 1294/0.48

1296/0.20, 1300/0.23, 1305/0.21, 1309/0.47, 1310/0.10

1317/0.23, 1323/0.66, 1326/0.40, 1334/0.53, 1339/0.19,

1341/0.40 ईका का 1/8 भाग व 1319/0.90 ईका का 3/8 भाग

व 1320/0.03 ईका का 1/8 भाग व के मातृ व मा (पु) लुह

मुंडावर (जिला अन्वय) के विधान 1287/0.34 विवाह आगामी

क हलाकेगी में विवाह के लिए मुंडावर (जिला अन्वय) के मातृ व मा (पु) लुह

सहायक कलेक्टर  
मुंडावर (अन्वय) राज०

के अन्तर्गत खसदारी की कार्रवाई होकर प्लित की कोतरी पर  
जहाँ विद्यालय प्रारम्भ हुआ है तथा अन्य विद्यालयों में कोई विवाद  
नहीं है इनलिए इनके प्रारम्भ (हुक्म) की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय  
इनकाल दर्ज करके अन्य विद्यालयों में, विद्यालय कायदा व कानून  
हुक्मदारी का अन्तर्गत विवादों की कार्रवाई (आयना के अन्तर्गत)  
सोमना कलसी पर हुक्मदारी के अन्तर्गत हुक्मदारी दर्ज कर  
दिया। जिस अन्तर्गत के (आयना के अन्तर्गत) दर्ज करने में वकील  
कार्रवाई का समुचित उपयोग उपयोग करने में विवक्षित हो रहा  
है कार्रविन्दन अर्थात् हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी की  
कार्रवाई एक अन्य हुक्मदारी इन अन्तर्गत कोटरी की कार्यवाही उपयोग  
विषयविद्यालयीयता के (आयना के अन्तर्गत) के अन्तर्गत कोटरी पर हुक्म  
हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत  
कार्रविन्दन अर्थात्

हुक्मदारी दर्ज विद्यालयीयता का अन्तर्गत हुक्मदारी  
हुक्मदारी कोटरी पर हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत  
हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत  
हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत

वकील को अन्तर्गत हुक्मदारी की कार्रवाई के अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत  
हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत  
हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत

वकील कार्रवाई की कार्रवाई हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत  
हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत  
हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत

हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत  
हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत  
हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत हुक्मदारी का अन्तर्गत

२५६ -  
सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राजस्थान

पेख  
म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

कोदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कोठी का  
 अपने कोद पर की हुकूमत तयों के लोहित प्रतीक  
 जाने कि लिखित में लीका क्रम पाये जाने पर  
 क्रम नं० 1287/0.34, 1294/0.48, 1296/0.20,  
 1300/0.23, 1305/0.21, 1309/0.47, 1310/0.10,  
 1317/0.23, 1323/0.66, 1326/0.40, 1334/0.53,  
 1339/0.19, 1341/0.40, 1320/0.03 ई.स. के 1/8 अंके  
 एवं 1319/0.90 ई.स. के 3/8 अंके वाके उमरनापुर  
 तहसील मुंडावा (जिला कलकत्ता) के काबलकामी  
 के वादका लिखी किपा जलाई एवं इस विषय  
 काजीपान के हल सफावरिफ के कफित शोनापुर  
 मुखलाल नाम के हजम विपे जके के कोदेश  
 जारे है एवं इसके ल्याग पर शोनापुर मुख  
 मुखलाल नाम दर्ज रिजर्ड विपे जके के कोदेश  
 विपे जारे है / तदागत पचाडिछी जारी है / नद  
 शीर्षक विगर्ष एवं पचाडिछी के अखिन्न करे है /  
 पानवली विधि त हुका हो / नमाल कर हो / क  
 तकनील जमा जिला लेक गंजा हो / हुकापा गंजा /

24 E

सहायक कलक्टर  
मुंडावा (नगर) राज

# न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:- रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.- 381/2020 दायरा दिनांक :-23.10.2020 पर्चा डिक्री दिनांक :- 12.04.2021

1. रामावतार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर, अलवर, राज0

..... वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..... प्रतिवादी

दावा ईशतकराहक मय दुरुस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89  
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

-: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री धर्मवीर बडसीवाल एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 12.04.2021 को श्री रामसिंह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है:-

वादी द्वारा अपने वाद पत्र को सुसगन तथ्यों से साबित कर दिये जाने कि स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर आराजी खसरा नम्बर 1287/0.34, 1294/0.48, 1296/0.20, 1300/0.23, 1305/0.21, 1309/0.47, 1310/0.10, 1317/0.23, 1323/0.66, 1326/0.40, 1334/0.53, 1339/0.19, 1341/0.40, 1320/0.03 है0 के 1/8 भाग एवं 1319/0.9 है0 के 3/8 भाग वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के हाल राजस्व रिकोर्ड में अंकित रामोतार पुत्र सुखलाल नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर रामावतार पुत्र मुखराम नाम दर्ज रिकोर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर  
मुण्डावर जिला अलवर राज0  
मुण्डावर (अलवर) राज0